

महत्वपूर्ण

पत्र सं०-विधि-4(1)-वैट एसेसमेण्ट वर्ष (2017-18)/

841/2021053/वाणिज्य कर।
कार्यालय:-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 मार्च, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वर्ष 2017-18 के नियमित कर निर्धारण वादों का निस्तारण दिनांक 31-03-2021 तक प्रत्येक दशा में कर दिया जाना है, इस तथ्य से आप अवगत हैं।

ध्यानाकर्षण पुनः करते हुए आपको अनुस्मृत कराया जा रहा है कि निर्धारित समयान्तर्गत उक्त कार्य स्वयं के पर्यवेक्षण में प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें।


(मिनिस्ती एस०)

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।